

अधिसूचना

अ.या.जं.रा.श्र.वि.सं., मुंबई

भारत सरकार की योजना के तहत: कॉकिलअर इम्प्लान्ट शल्यचिकित्सा के लिए आमंत्रण सूचना

दोनों कानों में जन्म से तीव्र से अति तीव्र सेन्सरी न्यूरल श्रवण दोष से बाधित बच्चों के माता-पिता/अभिभावक, जो अपने बच्चों का कॉकिलअर इम्प्लान्ट शल्यचिकित्सा और शल्यचिकित्सा पश्चात पुनर्वास करना चाहते हैं, उनसे आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन पत्र हमारे वेबसाइट - www.ayjnihh.nic.in से डाउनलोड करें और उसे भरकर निदेशक, अती यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान (अ.या.जं.रा.श्र.वि.सं.), के.सी. मार्ग, बान्द्रा रेकलमेशन, बान्द्रा (पश्चिम), मुंबई - 400 050 को भेजें। कॉकिलअर इम्प्लान्ट शल्यचिकित्सा के लिए बालक की पात्रता - मापदण्ड निम्न प्रकार से हैं :

1. परिवार की मासिक आमदनी रु.15,000/- तक होने पर 100% एवं रु.15,001/- से रु.20,000/- तक होने पर सिर्फ 50% सबसिडी दी जाएगी।
2. जन्मजात श्रवण दोष होने पर बालक की आयु दि. 31.12.2015 तक 5 वर्ष से कम हो
3. भाषा-वाचा सीखने के पश्चात श्रवण दोष वाले बालकों के लिए आयु सीमा 12 वर्ष तक है। (4-5 वर्ष की उम्र के बाद श्रवण दोष होने पर)
4. बालक को कोई अन्य विकलांगता नहीं होनी चाहिए (जैसे मेंटल रिटार्डेशन/विलम्बित विकास/कॉग्निटीव डिफिसीट्स)
5. कम से कम 3-6 माह से उपयुक्त श्रवण यंत्र के उपयोग के बावजूद भी वाचा विकास में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हो पायी है।

सूचना: जिन अभिभावकों ने अ.या.जं.रा.श्र.वि.सं., मुंबई को कॉकिलअर इम्प्लान्ट शल्यचिकित्सा के लिए पहले से आवेदन किया हो, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

(डॉ.ए.के.सिन्हा)

निदेशक

NOTIFICATION
AYJNIHH, Mumbai
Call for Cochlear Implant Surgery: Under Govt, of India Scheme

Applications are invited from parents who would like to get Cochlear Implant surgery and post-surgery rehabilitation for their child having severe to profound sensori-neural hearing loss in both ears by birth. You may download the form from our website www.ayjnihh.nic.in and fill up the application and send to The Director, Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped (AYJNIHH), K.C. Marg, Bandra Reclamation, Bandra West, Mumbai 400 050.

Eligibility criteria of the child for Cochlear Implant surgery is as follows:

1. Family income of parents upto Rs. 15,000/- per month (100% subsidy), and between Rs. 15,001/- to Rs. 20,000/- per month (50% subsidy)
2. Age of the child should be below 5 years as on 31.12.2015 for congenital deafness
3. Upto 12 years for post-lingual hearing Loss (hearing loss acquired after the age of 4-5 years)
4. Child should not have any other disability (such as mental retardation/developmental delays/cognitive deficits).
5. Use of appropriate aids for at least 3-6 months with no significant progress in developing speech.

PS: Parents who have already applied/communicated to AYJNIHH, Mumbai regarding Cochlear Implant surgery need not apply again.

Dr. A.K.Sinha
Director